डॉ० दिनेश सिंह यादव (असि० प्रोफेसर बी०एड० विभाग)

दिनांक- 04/06/2020

बी०एड० प्रथम वर्ष (2019-2021)

पेपर- पाठ्यक्रम में भाषा

शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009
(Right to Education Act (RTE) 2009)

शिक्षा के अधिकार अधिनियम की एक लम्बी कहानी है, प्रारंभ में भारत के संविधान के अनुच्छेद-45 में यह घोषणा की गई थी कि

'राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के अन्दर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबन्ध करने का प्रयास करेगा।'

और तभी से राज्यों ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास शुरू किया। (1)
आगे चलकर 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद-21 क जोड़ा गया जो इस प्रकार है-

'राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने में, जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबन्ध करेगा।'

और इसी 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग-4 क में वर्णित मूल कर्तव्यों में एक नया मूल कर्तव्य 51(ट) जोड़ा गया। जो इस प्रकार है

'माता-पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले, अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।'

आगे चलकर 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (The Right of Children to free And Compulsory Education Act-2009) पास किया गया। इसे संक्षेप में "शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2010 से इसे कानून के रूप में भी लागू कर दिया है। जिसके मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं:-

(1) संक्षिप्त नाम:- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम (शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009) है

(2) परिभाषाएं:- इस अधिनियम में प्रयुक्त विशेष शब्दों को परिभाषित किया गया है।

(3) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बालक का अधिकार:- 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आस-पास के विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रहेगा।

(4) अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण का अधिकार:- यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का प्रावधान नहीं है अथवा किसी कारण से कोई छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना चाहता/चाहती है तो उसे किसी दूसरे स्कूल में स्थानान्तरण लेने का अधिकार होगा।

(5) प्रवेश न दिये गये बालकों या जिसने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, के लिये विशेष उपलब्ध:- यदि को बालक 6 वर्ष की आयु पर किसी

Note : Start Writing from this page itself

भी कारण से विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है, तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं पाता तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक उसे नि:शुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी।

(6) राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य होगा। अधिनियम के पारित होने के तीन साल के अन्दर स्कूल स्थापित करना होगा।

(7) वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बाँटना- केन्द्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने में आने वाले खर्चों का एस्टीमेट तैयार करेगी और राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध करायेगी।

(8) राज्य सरकारों का कर्तव्य : राज्य सरकारें 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे की प्रवेश की जिम्मेदारी, कमजोर व वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं, विद्यालय भवन, शिक्षक, शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(9) स्थानीय प्राधिकारी उपर्युक्त धारा 8 में वर्णित राज्य सरकार के समस्त कर्तव्यों के साथ-2 अपने क्षेत्र के बालकों का अभिलेख रखना, शैक्षणिक कलेण्डर तैयार करना।

(10) माता-पिता और संरक्षक का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रवेश कराएं।

(11) राज्य सरकारों का विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था करना।

(12) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकारी विद्यालय प्रदान करेंगे। परन्तु निजी विद्यालय भी पहली कक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 25% स्थान आरक्षित करेंगे।

(13) प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस (डोनेशन) और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना।

(14) प्रवेश के समय आयु प्रमाणपत्र के अभाव में प्रवेश से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(16) रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध - न तो किसी बच्चे को कक्षा में रोका जायेगा न ही निकाला जायेगा।

(17) बालक को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध।

(18) मान्यता प्रमाणपत्र लिये बिना किसी विद्यालय को स्थापित न किया जाए।

(19) विद्यालय के मान और मानक स्थापित होने के 3 वर्ष के अन्दर पूरे करने होंगे।

(20) अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति होगी।

(२१) विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन करेगी, जिसमे जनप्रतिनिधि, अभिभावक एवं शिक्षक शामिल होंगे।

(२२) धारा २१ के अनुसार विद्यालय प्रबन्ध समिति स्कूल विकास की योजना बनाने और उसकी संस्तुति करने का कार्य करेगी।

(२३) शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हतायें और सेवा के निबन्धन और शर्तों का निर्धारण।

(२४) शिक्षकों के कर्तव्य एवं शिकायतों को दूर करना।

(२५) छात्र-शिक्षक के अनुपात को सुनिश्चित करना।

(२६) शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना।

(२७) गैर-शैक्षिक प्रयोजनों के लिये (सिर्फ जनगणना, चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर) शिक्षकों को अभिनियोजित किये जाने का प्रतिषेध।

(२८) शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध।

(२९) पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया।

(३०) परीक्षा और समापन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना।

(31) बालकों के शिक्षा के अधिकार के लिए बाल संरक्षण आयोग अधिनियम-2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय या राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन करना।

डा० दिनेश सिंह यादव (असि० प्रोफेसर बी०एड० विभाग) दिनांक 04/06/2020
बी०एड० प्रथम वर्ष - 2019-2021 (पाठ्यक्रम में मान्य)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner